



2026:AHC:180536

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 30297 / 2026

अरविंद कुमार पाठक एवं एक अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : रमेश चंद्र अग्रहरि

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदकगण की ओर से दायर पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर ले लिया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान आवेदन आवेदकगण को मुकदमा अपराध संख्या 87/2017 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 आई.पी.सी., पुलिस स्टेशन - सुरियावां, जिला - भदोही, संबंधित न्यायालय में विचारण लंबित के दौरान जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण पूरी तरह से निर्दोष हैं और उन्हें दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण और सह-अभियुक्त देवेंद्र कुमार उर्फ देवेंद्र नाथ, जो आवेदकगण का छोटा भाई है, के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप है कि अभियुक्तों ने सूचनादाता की संपत्ति को बंधक रखकर धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत कराया। आवेदकगण के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकगण बेला गांव, पुलिस थाना सुरियावां, जिला भदोही के स्थायी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवासी हैं, किन्तु वे लगभग 20 वर्षों से मुंबई, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से अपने पैतृक गांव नहीं गए हैं। आगे प्रस्तुत किया गया कि जब आवेदकगण अप्रैल, 2026, में गांव आए, तब उन्हें कथित जालसाजी के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकगण का उन पर लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। आरोप है कि आवेदकों के छोटे भाई, देवेंद्र ने आवेदकों के नाम पर जाली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाकर जालसाजी की थी। आगे यह बताया गया है कि संबंधित बैंक ने बाद में सूचनादाता की विवादित भूमि, गाटा संख्या 43/263 को बंधकनामा से हटा दिया है और इस बात के समर्थन में, खतौनी की एक प्रति संलग्नक संख्या एस.ए.-1 के रूप में संलग्न की गई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। सह-अभियुक्त देवेंद्र कुमार पाठक को विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.7.2017 द्वारा जमानत दे दी है। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आईपीसी की धारा 174-क के एक मामले के अलावा आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण 13.07.2026 से जेल/कारागार में हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण यह वचन दें कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, विचारण के शीघ्र निस्तारण की कोई संभावना नहीं है।

विद्वान ए.जी.ए. द्वारा जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया गया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख, साक्ष्यों का अध्ययन करने, और साथ ही आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदकगण विचारण के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा होने का पात्र है।

तदनुसार, मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदकगण - अरविन्द कुमार पाठक एवं संतोष कुमार पाठक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये :-

- (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
- (ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/ उसे डराएंगे नहीं।
- (iii) आवेदकगण निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
- (iv) आवेदकगण ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे जो उस अपराध के समान हो जिसका उन पर आरोप लगाया गया है, या जिसके किए जाने का उन पर संदेह है।
- (v) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को स्वीकार करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त मामले का विचारण विधि के अनुसार यथाशीघ्र समापन करे और दोनों पक्षों में से किसी को भी अनावश्यक या लंबा स्थगन न दे।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

अगस्त 31, 2026

केके पटेल

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।